

18.12.2024

वकील वादीनी अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकील मय वादी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकील व वादी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा वादी का वाद अदम पैरवी व अदम हजरती में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुभार होकर दाखिल इफतर हो

तहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतप

तहायक कलक्टर
अतिरिक्त (S.D.O.)